

-:खाता दुरस्ती आवेदन पत्र:-

(राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138)

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

निम्बाहेड़ा (राज.)।

विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रशासन गाँव के संग अभियान 2023 के प्री-कैम्प के दौरान गाँव में ग्रामवासियान के समक्ष जमाबन्दी पठन के दौरान मुझे जात हुआ कि जमाबन्दी ग्राम ऊंचा पटवार मण्डल- जावदा की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या २६००० में नाम खातेदार नासीर खान पिता/पति नजीर मोहम्मद जाति मुसलमान सा.देह के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि दर्ज नाम/पिता का नाम/जाति एक प्रकार की लिपीकीय त्रुटि (बोलने, सुनने व लिखने में हुई गलती) है। एवं मेरे नाम/पिता का नाम/ जाति को मैं खातेदार प्रार्थी सम्मान जनक रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी हूँ।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा नाम/पिता का नाम/जाति नासीर के बजाय नाम/पिता का नाम/जाति शुद्ध खान के रूप में दुरस्त कराने की कृपा करावें।

अतः उक्त दुरस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

दिनांक:- /06/2023

हस्ताक्षर प्रार्थी



जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसील- निम्बाहेडा (राज.)

महोदय जी,

निवेदन है कि पार्थी/प्रार्थियान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की राजस्व अभिलेखों से जांच की गई। राजस्व ग्राम...उरुवा...की जमाबन्दी संवत 2077-80 के खाता सं...76...अनुसार पार्थी का नाम...नासीर खां... पिता/पति...नासीर खां... जाति...मुल्कागा... के रूप में दर्ज है। संलग्न आवेदन पत्र/दस्तावेज, सरपंच साहब द्वारा संलग्न ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व उपस्थित मौतबिरान से जमाबंदी पठन के दौरान ली गयी जानकारी अनुसार खाते में नाम...उरुवा... पिता/पति...नासीर खां... जाति...मुल्कागा... दर्ज किया जाना कृषक खातेदार के हित में होकर सर्वथा उचित है।

राज
भू-अभिलेख निरीक्षक
जावदा

मारी
भारती मीना
पटवारी
प. हल्का जावदा
तह. निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़
पटवार हल्का जावदा

कार्यालय तहसीलदार निम्बाहेडा, जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:राजस्व/2023/

दिनांक:- / /2023

मुताबिक आवेदन पत्र, संलग्न दस्तावेज, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व रिपोर्ट पटवार हल्का-जावदा, भू-अभिलेख निरीक्षक-जावदा अनुसार संशोधन कृषक हित में होकर खाते में दर्ज नाम/पिता का नाम/जाति...नासीर खां के बजाय नाम/पिता का नाम/जाति...उरुवा दर्ज किया जाना उचित है। उक्त संशोधन का आधार जनहित,सम्मानसूचक शुद्धि होने से संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

राज
तहसीलदार निम्बाहेडा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)

क्रमांक:राजस्व/2023/

दिनांक: 7 / 8 /2023

:-आदेश:-

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार निम्बाहेडा के अनुसार ग्राम...उरुवा... में जमाबंदी संवत 2077-80 में खाता संख्या...76... में दर्ज प्रार्थी/खातेदार...नासीर खां... की नाम/जाति/पिता का नाम...नासीर खां... के बजाय...उरुवा... दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

राज
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा

दिनांक: 3 / 8 /2023

क्रमांक:राजस्व/2023/

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार निम्बाहेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल-दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करावें।
2. प्रार्थी/प्रार्थियान श्री... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

राज
सहायक निरीक्षक
निम्बाहेडा

"मंहगाई राहत कैम्प"

"प्रशासन गांव के संग अभियान-2023"

:-खाता दुरस्ती आवेदन पत्र:-

(राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138)

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

निम्बाहेड़ा (राज.)।

विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरस्ती के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रशासन गाँव के संग अभियान 2023 के प्री-कैम्प के दौरान गांव में ग्रामवासियान के समक्ष जमाबन्दी पठन के दौरान मुझे ज्ञात हुआ कि जमाबंदी ग्राम ऊंचा जावदा पटवार मण्डल- जावदा की जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 76 में नाम खातेदार आशा पिता/पति नजीर मोहम्मद जाति मुसलमान सा.देह के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि दर्ज नाम/पिता का नाम/जाति एक प्रकार की लिपीकीय त्रुटि(बोलने, सुनने व लिखने में हुई गलती) है। एवं मेरे नाम/पिता का नाम/जाति को मैं खातेदार प्रार्थी सम्मान जनक रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी हूं।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा नाम/पिता का नाम/जाति आशा के बजाय नाम/पिता का नाम/जाति मुमताज़ के रूप में दुरस्त कराने की कृपा करावें।

अतः उक्त दुरस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

दिनांक:- /06/2023

हस्ताक्षर प्रार्थी

मुमताज़

जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसील- निम्बाहेड़ा (राज.)

महोदय जी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थियान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की अभिलेखों से जांच की गई। राजस्व ग्राम...कै.पै.।।।।।।।।।।की जमाबन्दी संवत 2077-80 के खाता सं...76अनुसार प्रार्थी का नाम...आशा।।।।।।।।।। पिता/पति...रा.पै.।।।।।।।।।। जाति...मु.म.।।।।।।।।।। के रूप में दर्ज है। संलग्न आवेदन पत्र/दस्तावेज, सरपंच साहब द्वारा संलग्न ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व उपस्थित मौतबिरान से जमाबंदी पठन के दौरान ली गयी जानकारी अनुसार खाते में नाम...मु.म.।।।।।।।।।। पिता/पति...रा.पै.।।।।।।।।।। जाति...मु.म.।।।।।।।।।। दर्ज किया जाना कृषक खातेदार के हित में होकर सर्वथा उचित है।

9/11/2023
भू.अभिलेख निरीक्षक
जावदा

9/11/2023
भारतीय
पटवारी

पटवार हल्का...
तह. निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़

कार्यालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:राजस्व/2023/1121

दिनांक: 7/11/2023

मुताबिक आवेदन पत्र, संलग्न दस्तावेज, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व रिपोर्ट पटवार हल्का-जावदा, भू.अभिलेख निरीक्षक-जावदा अनुसार संशोधन कृषक हित में होकर खाते में दर्ज नाम/पिता का नाम/ जाति...आ.।।।।।।।।।। के बजाय नाम/पिता का नाम/जाति...मु.म.।।।।।।।।।। दर्ज किया जाना उचित है। उक्त संशोधन का आधार जनहित,सम्मानसूचक शुद्धि होने से संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

तहसीलदार निम्बाहेड़ा
जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

क्रमांक:राजस्व/2023/1121

दिनांक: 8/11/2023

:-आदेश:-

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार निम्बाहेड़ा के अनुसार ग्राम...कै.पै.।।।।।।।।।। में जमाबंदी संवत 2077-80 में खाता संख्या...76 में दर्ज प्रार्थी/खातेदार...आ.।।।।।।।।।। की नाम/जाति/पिता का नाम...रा.पै.।।।।।।।।।। के बजाय...मु.म.।।।।।।।।।। दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

क्रमांक:राजस्व/2023/

दिनांक: 3/11/2023

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल-दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करावें।
2. प्रार्थी/प्रार्थियान श्री... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा